

इसे वेबसाइट www.govtpress.mp.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 जनवरी 2026—माघ 3, शक 1947

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2026

क्र. TRP-0086-2025-Sec-1-आठ-(TRP).— केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 167 के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, परिवहन आयुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश में ई-डिटेक्शन सेल को, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) के ई-डिटेक्शन प्रणाली के माध्यम से उत्पन्न ई-चालानों को जारी करने हेतु अधिकृत करती है. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र की ई-डिटेक्शन प्रणाली को मध्यप्रदेश राज्य में स्थित नेशनल हाईवे तथा स्टेट हाईवे के टोल बूथों एवं मध्यप्रदेश शासन के अन्य विभागों के साथ एकीकृत किया जाएगा तथा इन स्थलों से गुजरने के दौरान पता लगने वाले वाहनों हेतु मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन आवश्यक दस्तावेजों की वैधता का सत्यापन ई-डिटेक्शन प्रणाली के माध्यम से स्वतः हो जायेगा. वाहनों के दस्तावेज अविधिमान्य पाए जाने की दशा में, ऐसे वाहनों को, परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश द्वारा नामनिर्दिष्ट ई-डिटेक्शन सेल के अधिकारियों द्वारा चालान जारी किए जाएंगे.

No.TRP-0086-2025-Sec-1-VIII(TRP).— In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 167 of the Central Motor Vehicle Rules, 1989, the State Government, hereby, authorizes the e-detection cell at the office of Transport Commissioner, Madhya Pradesh to issue e-challans generated through e-detection system of National Informatics Centre (NIC). National Informatics Centre's e-detection system shall be integrated with the toll booths of National Highway and State Highway located in the State of Madhya Pradesh and with other departments of Government of Madhya Pradesh and the validity of documents required under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), for vehicles detected while plying through these points, shall be verified automatically through the e-detection system. In case, the documents of vehicles are found to be invalid then challans shall be issued to such vehicles by the officers of e-detection cell nominated by the Transport Commissioner, Madhya Pradesh.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मनीष सिंह, सचिव.